नीदरलैंड सरकार
और
भारत सरकार
के बीच
हवाई सेवाओं से संबंधित
समझौता

नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार, जिन्हें आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है;

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन समझौते के संविदाकारी पक्ष होते हुए, जो दोनों 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित किए गए थे और जिनके उपबंध दोनों पक्षों पर बाध्यकारी हैं;

तथा अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच और उनके बाहर हवाई परिवहन सेवाओं के संचालन के लिए एक समझौता करने की इच्छा रखते हुए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद I

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते के अनुबंध में निर्दिष्ट हवाई सेवाओं (जिन्हें आगे "निर्दिष्ट हवाई सेवाएँ" कहा गया है) का संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद II

(क) निर्दिष्ट हवाई सेवाओं में से प्रत्येक को उस संविदाकारी पक्ष के विकल्प पर, जिसे अधिकार प्रदान किए गए हैं, तत्काल या बाद की तारीख में आरंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि:

1. जिस संविदाकारी पक्ष को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसने निर्दिष्ट हवाई मार्ग के लिए एक विमान सेवा नामित की हो (जिसे आगे "नामित विमान सेवा" कहा गया है);

2. अधिकार प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष ने उस विमान सेवा को उपयुक्त संचालन अनुमति दे दी हो, जो वह न्यूनतम संभव विलंब के साथ देगा, बशर्ते कि विमान सेवा ने, यदि उससे ऐसा करने को कहा जाए, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ख) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो।

(ख) नामित विमान सेवा से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अधिकार प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को संतुष्ट करे कि वह अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संचालन के लिए उन प्राधिकारियों द्वारा सामान्यतः लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों द्वारा या उनके अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य है।

(ग) प्रत्येक निर्दिष्ट हवाई सेवा का संचालन संबंधित संविदाकारी पक्ष की इस सहमति के अधीन होगा कि निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर नागरिक विमानन के लिए उपलब्ध मार्ग-संगठन हवाई सेवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए पर्याप्त है।

अनुच्छेद III

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान सेवाएँ, अनुच्छेद IV के उपबंधों के अधीन, अनुबंध में निर्दिष्ट बिंदुओं पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, संबंधित निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर, पूर्ववर्ती संविदाकारी पक्ष या किसी तीसरे देश के राज्यक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले या वहाँ जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यातायात को उतार या उठा सकती हैं।

अनुच्छेद IV

(क) संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी एक सहमत अवधि के संबंध में संयुक्त रूप से उस कुल क्षमता का निर्धारण करेंगे जो उचित भार-गुणक पर उस समस्त यातायात–अर्थात् यात्रियों, माल और डाक–के परिवहन के लिए आवश्यक है, जिसके प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उत्पन्न होने और निर्दिष्ट हवाई मार्गों पर उस अवधि के दौरान संचालित की जाने वाली निर्दिष्ट हवाई सेवाओं द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उतारे जाने की युक्तिसंगत अपेक्षा की जा सकती है। इसके बाद वैमानिक प्राधिकारी प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान सेवा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमताओं और उड़ान-आवृत्तियों का निर्धारण करेंगे।

(ख) इस अनुच्छेद में "सहमत अवधि" का अर्थ इस समझौते के प्रवर्तन में आने की तारीख से प्रथम बारह महीने और उसके बाद प्रत्येक क्रमिक बारह महीने की अवधि है, जब तक कि वैमानिक प्राधिकारियों के बीच अन्यथा सहमति न हो।

(ग) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार क्षमता की किसी समीक्षा के पूर्ण होने तक, संविदाकारी पक्षों की नामित विमान सेवाएँ अपनी हवाई सेवाओं पर उन क्षमताओं और उड़ान-आवृत्तियों को उपलब्ध कराना जारी रखने की हकदार होंगी जिन पर संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच अंतिम बार सहमति हुई थी।

अनुच्छेद V

(क) दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी अपने-अपने नामित विमान सेवाओं को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, उसके माध्यम से और उससे सेवा प्रदान करने के लिए दी गई वर्तमान प्राधिकृतियों के संबंध में यथाशीघ्र सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। इसमें निर्दिष्ट

हवाई मार्गों पर सेवा के लिए वर्तमान प्रमाणपत्रों और प्राधिकृतियों की प्रतियाँ, साथ ही उनके संशोधन, छूट आदेश और अधिकृत सेवा-पद्धतियाँ शामिल होंगी।

(ख) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी नामित विमान सेवाओं से यह सुनिश्चित करेगा कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को यथासंभव पहले से समय-सारिणियों, शुल्क-सारिणियों, जिनमें उनके कोई संशोधन भी शामिल हों, तथा निर्दिष्ट हवाई सेवाओं के संचालन से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक सूचनाओं की प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ, जिसमें ऐसी सूचना भी शामिल होगी जिसकी आवश्यकता वैमानिक प्राधिकारियों को यह संतुष्ट होने के लिए हो सकती है कि इस समझौते की अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

(ग) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी नामित विमान सेवाओं से यह सुनिश्चित करेगा कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को उनकी हवाई सेवाओं द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र तक, वहाँ से या उसके ऊपर ले जाए गए यातायात से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएँ, जिनमें यातायात का उद्गम और गंतव्य दर्शाया गया हो।

अनुच्छेद VI

(क) दरें उचित स्तर पर निर्धारित की जाएँगी, और सभी प्रासंगिक कारकों, जिनमें तुलनीय किफायती संचालन की लागत, उचित लाभ और सेवा की विशेषताओं में अंतर शामिल हैं, का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

(ख) इस समझौते के अधीन दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से या उसके लिए ले जाए जाने वाले यातायात के संबंध में प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान सेवाओं द्वारा ली जाने वाली दरों पर प्रारंभ में दोनों पक्षों की नामित विमान सेवाओं के बीच सहमति होगी और अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक दरों का ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार सहमत की गई कोई भी दर संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों की स्वीकृति के अधीन होगी। विमान सेवाओं और/या वैमानिक प्राधिकारियों के बीच असहमति होने की स्थिति में, संविदाकारी पक्ष स्वयं सहमति पर पहुँचने का प्रयास करेंगे और ऐसी सहमति को प्रभावी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे। यदि संविदाकारी पक्ष सहमत होने में विफल रहते हैं, तो विवाद का निपटारा अनुच्छेद XI के अनुसार किया जाएगा। किसी असहमति के निपटारे तक, पहले से निर्धारित दरें लागू रहेंगी।

अनुच्छेद VII

एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष या उसकी नामित विमान सेवाओं द्वारा अथवा उनकी ओर से विमान में लाया गया या विमान पर चढ़ाया गया ईंधन, स्नेहक तेल और अतिरिक्त पुर्जे, जो केवल बाद वाले पक्ष के विमानों के उपयोग के लिए अभिप्रेत हों, पूर्ववर्ती संविदाकारी पक्ष द्वारा लगाए गए सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क या अन्य प्रभारों के संबंध में, उस पक्ष की राष्ट्रीय विमान सेवाओं जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन में संलग्न हैं या सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की विमान सेवाओं को दिए गए व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार के अधिकारी नहीं होंगे।

अनुच्छेद VIII

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि विमान सेवा का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित है, या यदि दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा पूर्ववर्ती पक्ष के कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफल रहती है, या यदि पूर्ववर्ती पक्ष के मत में इस समझौते के अनुसार जिन शर्तों पर अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें पूरा करने में विफलता हुई है, तो वह संचालन अनुमति को रोक सके, रद्द कर सके या उसके संबंध में ऐसी उपयुक्त शर्तें लगा सके जिन्हें वह आवश्यक समझे। कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफलता के मामले को छोड़कर, ऐसी कार्रवाई पक्षों के बीच परामर्श के बाद ही की जाएगी। इस अनुच्छेद के अधीन किसी एक पक्ष द्वारा कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, अनुच्छेद XI के अधीन दूसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद IX

(क) घनिष्ठ सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी नियमित रूप से परामर्श करेंगे, ताकि इस समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों के पालन और इसके उपबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है, जिसका उद्देश्य समझौते में ऐसे संशोधन आरंभ करना होगा जिन्हें वह वांछनीय समझे। ऐसा परामर्श अनुरोध की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होगा। ऐसे परामर्श के परिणामस्वरूप इस समझौते में सहमत कोई भी संशोधन राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने पर प्रभावी होगा।

(ग) किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट हवाई मार्गों में किए गए परिवर्तन, सिवाय उन परिवर्तनों के जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में नामित विमान सेवाओं द्वारा सेवा दिए जाने वाले बिंदुओं को बदलते हैं, इस समझौते के संशोधन नहीं माने जाएँगे। अतः किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी ऐसे परिवर्तन एकतरफा रूप से कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी परिवर्तन की सूचना दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को बिना विलंब दी जाए। यदि ऐसे दूसरे वैमानिक प्राधिकारी यह पाते हैं कि इस समझौते में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, किसी तीसरे देश के राज्यक्षेत्र में नए बिंदु और दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के बीच पहले संविदाकारी पक्ष की नामित विमान सेवा द्वारा यातायात ले जाए जाने से उनकी किसी विमान सेवा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो बाद वाला पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ख) के उपबंधों के अनुसार परामर्श का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद X

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे पक्ष को इस समझौते को समाप्त करने की अपनी इच्छा की सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी साथ-साथ संप्रेषित की जाएगी। यह समझौता दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने

की तारीख से एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले सहमति द्वारा सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति न दिए जाने की स्थिति में, सूचना को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने के चौदह दिन बाद प्राप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद XI

(क) यदि संविदाकारी पक्षों के बीच इस वर्तमान समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्ष पहले आपस में बातचीत द्वारा उसका निपटारा करने का प्रयास करेंगे।

(ख) यदि संविदाकारी पक्ष बातचीत द्वारा समझौते पर पहुँचने में विफल रहते हैं, तो:

(i) वे विवाद को निर्णय के लिए किसी मध्यस्थ अधिकरण या उनके बीच हुए समझौते द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को भेजने के लिए सहमत हो सकते हैं; या

(ii) यदि वे इस प्रकार सहमत न हों, या यदि विवाद को मध्यस्थ अधिकरण को भेजने पर सहमत होने के बाद वे उसके गठन के संबंध में सहमति पर न पहुँच सकें, तो कोई भी संविदाकारी पक्ष विवाद को निर्णय के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के भीतर स्थापित किसी ऐसे अधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है जो उसका निर्णय करने में सक्षम हो, या यदि ऐसा कोई अधिकरण न हो, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को प्रस्तुत कर सकता है।

(ग) संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ख) के अधीन दिए गए किसी भी निर्णय, जिसमें की गई कोई अंतरिम सिफारिश भी शामिल है, का पालन करने का वचन देते हैं।

(घ) यदि और जब तक कोई संविदाकारी पक्ष या किसी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान सेवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ग) की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहती है, तब दूसरा संविदाकारी पक्ष इस वर्तमान समझौते के आधार पर उसके द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार को सीमित, रोक या रद्द कर सकता है।

अनुच्छेद XII

यह समझौता 17 जून, 1951 को प्रवर्तन में आएगा।

अनुच्छेद XIII

यदि हवाई परिवहन के संबंध में कोई बहुपक्षीय अभिसमय या समझौता संपन्न होता है, जिसका दोनों संविदाकारी पक्ष पालन करते हैं, तो इस समझौते को ऐसे अभिसमय या समझौते के उपबंधों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

अनुच्छेद XIV

(क) इस समझौते के प्रयोजन के लिए "राज्यक्षेत्र", "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा" और "विमान सेवा" शब्दों का वही अर्थ होगा जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय में निर्दिष्ट है।

(ख) "वैमानिक प्राधिकारी" शब्द का अर्थ भारत के मामले में भारत के नागरिक विमानन महानिदेशक और नीदरलैंड के मामले में नीदरलैंड के नागरिक विमानन महानिदेशक होगा तथा दोनों मामलों में ऐसा कोई व्यक्ति या निकाय भी होगा जिसे ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

अनुच्छेद XV

इस समझौते का अनुबंध समझौते का अभिन्न भाग माना जाएगा और "समझौता" के सभी संदर्भों में अनुबंध के संदर्भ भी शामिल होंगे, सिवाय जहाँ अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया हो।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, जिन्हें उनकी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत अधिकृत किया गया है, वर्तमान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुबंध

1. नीदरलैंड सरकार द्वारा नामित विमान सेवा को निर्दिष्ट प्रत्येक मार्ग पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवाएँ संचालित करने तथा इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट बिंदुओं पर भारत में अनुसूचित लैंडिंग करने का अधिकार होगा।

मार्ग: नीदरलैंड, यूरोप के बिंदु, निकट पूर्व और मध्य पूर्व के बिंदु, ईरान का एक बिंदु, पाकिस्तान का एक बिंदु, दिल्ली या कलकत्ता में से किसी एक तक, बर्मा का एक बिंदु, थाईलैंड का एक बिंदु और वहाँ से–

(क) मलाया का एक बिंदु, जकार्ता और/या बिएक तथा, यदि वांछित हो, उससे आगे; और

(ख) फिलीपींस या चीन का एक बिंदु तथा, यदि वांछित हो, उससे आगे।

2. भारत सरकार द्वारा नामित विमान सेवा को निर्दिष्ट प्रत्येक मार्ग पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवाएँ संचालित करने तथा इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट बिंदुओं पर नीदरलैंड में अनुसूचित लैंडिंग करने का अधिकार होगा।

मार्ग (1): भारत, पाकिस्तान का एक बिंदु, सऊदी अरब, ईरान, मध्य पूर्व और निकट पूर्व के बिंदु, यूरोप के बिंदु होते हुए एम्स्टर्डम तक और, यदि वांछित हो, उससे आगे।

मार्ग (2): भारत, पाकिस्तान के बिंदु, बर्मा, थाईलैंड, इंडो-चीन, मलाया, इंडोनेशिया होते हुए न्यू गिनी तक और, यदि वांछित हो, उससे आगे।

3. (क) निर्दिष्ट मार्गों पर कोई भी बिंदु नामित विमान सेवा के विकल्प पर किसी एक या सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है।

(ख) यदि किसी समय किसी एक संविदाकारी पक्ष की निर्दिष्ट हवाई सेवाओं में से किसी पर अनुसूचित उड़ानें इस प्रकार संचालित की जाती हैं कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में समाप्त हों और ऐसी हवाई सेवा का हिस्सा न हों जो उस राज्यक्षेत्र से आगे तक जारी रहती हो, तो बाद वाले पक्ष को अपने राज्यक्षेत्र में निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर ऐसी अनुसूचित उड़ानों के अंतिम बिंदु को नामित करने का अधिकार होगा। यदि बाद वाला पक्ष ऐसी अनुसूचित उड़ानों के लिए नया अंतिम बिंदु नामित करने का निर्णय करता है, तो वह दूसरे पक्ष को कम-से-कम छह महीने की सूचना देगा।